अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

भूमि विवाद अपील संख्या-179/2012

राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ..... अपीलकर्त्ता

बनाम

मिश्री लाल यादव .....विपक्षी

आदेश

25.08.2014

यह अपीलवाद भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, सहरसा के वाद संख्या-47/2011 दिनांक 28.04.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। इसमें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने से यह स्पष्ट हुआ है कि विवाद ग्रस्त भूमि का विवरण निम्नवत् है :-

मौजा सौरबाजार, पुराना खाता-112, नया खाता-312, खेसरा पुराना-1137, खेसरा नया-1499, रकवा-08 कट्ठा 15 धूर का क्रय ब्रिक्री 12.07.1927 को ही शुरू हुआ है तथा आवेदक ने क्रेता के वारिसानो से दिनांक 11.12.1963 को ब्रिक्री हुई भूमि के पश्चात् अंततः दिनांक 24.07.1985 को तृतीय पीढ़ी के विक्रेता से प्राप्त हुआ है। उभय पक्षों को सुनने से स्पष्ट हुआ है कि इस वाद के समानान्तर एक स्वत्वव वाद संख्या-38/1987 सब-जज तृतीय सहरसा के न्यायालय में भी लंबित चला आ रहा है। उक्त वाद के अभिलेख की सत्यापित प्रति एवं अर्जी के प्रति देखने से स्पष्ट है कि उक्त वाद में कुल 49 वादी एवं 106 प्रतिवादी बनाये गये है। जिसमें से प्रतिवादी संख्या-42 श्री सत्यनारायण साह से प्रश्नगत भूमि आवेदक क्रय किये है। स्पष्टतः यह वाद अभी न्यायाधीन है। अतः बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के नियम-4(5) "it appears that the case instituted in this court involves complex question of adjudication of title" चुँकि स्वत्व वाद का अभी अंतिम फैसला आना शेष है, ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश से छेड़-छाड़ करना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। दोनों पक्ष का स्वत्व वाद के फैसला होने के बाद ही इस वाद में आगे की कार्रवाई कराने का

निर्णय लेना समीचीन होगा तथा सम्प्रति सब–जज तृतीय सहरसा के न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए यथास्थिति बनाये रखना युक्तिसंगत है।। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

25.9.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।